भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1334

14 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

अनाज वितरण नीति का विस्तार

1334. श्री संजय काका पाटील:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अनाज वितरण की नीति को अगले वर्ष तक के लिए बढ़ाना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के राशन कार्डधारकों को कितना अनाज वितरित किए जाने की संभावना है; और

(ग) वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में राशन वितरण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) पहले से ही दिसम्बर, 2022 (चरण-VII) तक विस्तारित है। केवल अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) की श्रेणियों के तहत आने वाले लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थी पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत लाभ प्राप्त करते हैं।

(ग): वर्ष 2021-22 के दौरान पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत महाराष्ट्र द्वारा 33,67,919.00 टन खाद्यान्नों का वितरण किया गया है। विवरण निम्नानुसार हैः-

अवधि	वितरित मात्रा (टन में)
मई-जून 2021 (चरण-III)	6,36,508
जुलाई-नवंबर 2021 (चरण-IV)	15,53,933
दिसम्बर,2021-मार्च 2022 (चरण-V)	11,77,479

*****